संख्या- 54/2026/638/छप्पन-2026-58/2011

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 जून, 2026

विषयः विमानन अभियन्ता के कुल 09 पदों (गुणवत्ता प्रबन्धक के पद को सम्मिलित करते हुए) में से 02 पद एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता के लिए निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 75/ना0उ0नि0/2025 दिनांक 26 जून, 2025, पत्र संख्या: 210/ना0उ0नि0/2025 दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 एवं पत्र संख्या: 06/ना0उ0नि0/2026-387/2024 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विमानन अभियन्ता के कुल 09 पदों (गुणवत्ता प्रबंधक के पद को सम्मिलित करते हुए) में से वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के 01 पद को कम करते हुए 02 पद एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता के लिए निर्धारित कराने का अनुरोध किया गया हैं।

2- शासन की अधिसूचना संख्या 78/2021/1493/छप्पन-2021-58-2011 दिनांक 17 अगस्त, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन कार्मिक भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 निर्गत की गयी हैं, जिसमें निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित विमानन अभियंता के 9 पदों के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था अंकित है :-

संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आशयित विभिन्न पदों पर अनुमन्य पारिश्रमिक और पदों का विवरण

क्र0स0	पद का नाम	पदों की संख्या	पारिश्रमिक	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	मुख्य अभियन्ता	1	1,50,000 से 2,50,000	राज्यपाल
2	वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता (अपर मुख्य/वरिष्ठ/ सहायक वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता)	3	1,50,000 से 2,50,000	राज्यपाल
3	हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता (अपर मुख्य/वरिष्ठ/ सहायक वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता)	3	1,50,000 से 2,50,000	राज्यपाल
4	वायुयान एवियानिक्स अभियन्ता (अपर मुख्य/वरिष्ठ/ सहायक वायुयान एवियानिक्स अभियन्ता)	1	1,50,000 से 2,50,000	राज्यपाल
5	गुणवत्ता प्रबन्धक	1	1,50,000 से 2,50,000	राज्यपाल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के विद्यमान पदों में से 01 पद समाप्त किये जाने तथा एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता के विद्यमान पदों में 01 पद की वृद्धि किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं :-

(1) वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के 01 पद को समाप्त किये जाने तथा वायुयान एवियॉनिक्स अभियन्ता के 01 पद को सृजित किये जाने हेतु न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता, वित्तीय औचित्य एवं मितव्ययता के सामान्य सिद्वान्तों तथा विभागीय स्थिति के दृष्टिगत पद पर भर्ती/नियुक्ति की जायेगी तथा सामान्य वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन का ध्यान रखा जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सृजित किये जाने वाले पद का पदनाम, वेतनमान, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, आयु आदि संबंधित संवर्ग हेतु प्रख्यापित विभागीय संवर्गीय नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप हैं।

(3) पद सृजन सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था का समावेश सुसंगत सेवानियमावली में ***यथास्थान,*** यथाप्रक्रिया एवं यथासमय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के विद्यमान 03 पदों में से 01 पद की संख्या को कम करते हुए एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता के विद्यमान 01 पद में वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के कम किये गये 01 पद को एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता के विद्यमान 01 में जोडते हुए एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता के कुल 02 पद स्थापित किये जाने के दृष्टिगत पदों की संख्या परिवर्तन के फलस्वरूप वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के पदों की संख्या विद्यमान 03 पदों में 01 पद की कमी किये जाने से कमी स्वरूप 02 रह जायेगी तथा एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता के विद्यमान 01 पद में 01 पद की वृद्धि किये जाने से वृद्धि स्वरूप 02 पद हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान व्यवस्था में संशोधन के उपरान्त संशोधित व्यवस्था निम्न तालिकाबद्ध प्रदर्शित है:-

संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आशयित विभिन्न पदों पर अनुमन्य पारिश्रमिक और पदों का विवरण

क्र0 सं0	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**		**पारिश्रमिक (रू0 में)***	**नियुक्ति प्राधिकारी**
		विद्यमान व्यवस्था	**संशोधित व्यवस्था**		
1	मुख्य अभियन्ता	1	1	3,00,000/- से 5,00,000/-	राज्यपाल
2	वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता (अपर मुख्य/वरिष्ठ)/सहायक वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता)	3	2	3,00,000/- से 5,00,000/-	राज्यपाल
3	हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता (अपर मुख्य/वरिष्ठ/सहायक वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता)	3	3	3,00,000/- से 5,00,000/-	राज्यपाल
4	वायुयान एवियानिक्स अभियन्ता (अपर मुख्य/वरिष्ठ/सहायक वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता)	1	2	3,00,000/- से 5,00,000/-	राज्यपाल
5	गुणवत्ता प्रबन्धक	1	1	3,00,000/- से 5,00,000/-	राज्यपाल
कुल पदों की संख्या		**9**	**9**		

*(शासनादेश संख्या 52/2025/697/छप्पन-2025-17/2014 दिनांक 19 मई, 2025 की व्यवस्थानुसार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त सृजित होने वाले पद पर होने वाला विभागीय अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा शीषक'' 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-114 वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-14/दस-2026-27 दिनांक 09 जून, 2026 में उनकी सहमित से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव।

संख्या- 54/2026/393/छप्पन-2026, तदिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार-प्रथम (ऑडिट/लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
5. गार्ड फाइल ।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।